'प्रसन्नता तब प्राप्त होती है, जब आपकी सोच आपकी कथनी और करनी में भी कोई अंतर न हो : महात्मा गांधी।'
——— डा. सुमिता मिश्रा, अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा

किसी दूसरे की बांह की ताकत का इस्तेमाल कर हम हमारे घर की दीवारें एक बार बना सकते है। लेकिन घर को आजीवन सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी बांह मजबूत करना होगा। इसका अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ——— राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

निर्माण श्रमिकों को पेंशन से नहीं किया जा सकता वंचित : हाईकोर्ट

- तकनीकी आधार पर पेंशन नहीं रोकी जा सकती : हाईकोर्ट
- कोर्ट ने बोर्ड को पेंशन देने एवं बकाया पेंशन छह फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया
- 25 हजार का मुआवजा भी देने को कहा

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को पेंशन के अधिकार से अति-तकनीकी आधार पर अथवा मूल एमआर पर्ची या नोटरी रिकॉर्ड की क्रम संख्या न होने की वजह से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक निरक्षर हैं या अर्ध-निरक्षर हैं। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। इस दशा में उनके पेंशन आवेदन को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रतिबा मनिंदर सिंह ने कहा कि श्रमिक सितंबर, 2009 से बोर्ड में पंजीकृत था और सेवानिवृत्ति के समय उसने एक वर्ष से अधिक समय तक भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया था। उसने पूरी अवधि के लिए अपने योगदान का भी भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि सेवानिवृति के बाद उसकी योगदान की अवधि बढ़ा दी गई या सदस्यता का नवीनीकरण सेवानिवृत्ति के बाद किया गया, उस आधार पर उसे पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह श्रमिक को 6 फरवरी, 2022 से छह फीसदी ब्याज की दर से पेंशन दे और उसका भुगतान 1 जुलाई तक कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पेंशन के लिए दो बार याचिका दाखिल करना पड़ी है और काफी समय तक उसे पेंशन से वंचित कर दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा उसे आठ सप्ताह के भीतर दे दिया जाए। न्यायमूर्ति ने यह कहते हुए उसकी याचिका को निपटा दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2011 में 30 दिनों की अवधि के भीतर पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई है, वहीं दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के एसओपी में निर्माण श्रमिकों के आवेदन प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर निपटान की बात कही गई है। इस दशा में उनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्माण श्रमिकों के आवेदन को बिना किसी देरी के निपटाया जाए।

अंतरिम भरण-पोषण पर रोक से इनकार नहीं कर सकती अदालत : हाईकोर्ट

- अपील लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने कहा कि एक पुनरीक्षण अदालत (रिविजनल कोर्ट) सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आदेश पर रोक लगाने पर विचार करते हुए तथ्यों व परिस्थितियों की अनदेखी कर पूरी भरण-पोषण राशि जमा करने का निर्देश नहीं दे सकती है। वह भरण-पोषण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए पूरी राशि जमा करने की शर्त नहीं लगा सकती।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने यह कहते हुए विवादित आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को फिर से विचार के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि क्या अपील लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि मेरे विचार से भरण-पोषण की पूरी राशि जमा नहीं करने के आधार पर भरण-पोषण के अंतरिम आदेश पर रोक नहीं लगाए जाने का सामान्य निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अगर तथ्य व परिस्थिति वैसी है तो अंतरिम भरण-पोषण पर रोक लगाने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात एक पति की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही जिसने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अंतरिम भरण-पोषण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हालत गंभीर

नई दिल्ली (एसएनबी)। साउथ ईस्ट दिल्ली जिले की डिफेंस कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। लोगों की मदद से घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे एम्स ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल स्कूटी सवार की पहचान नहीं हो पाई है। वह अभी बयान देने की हालत में नहीं है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया कि यह एक्सीडेंट लाला लाजपत राय मार्ग पर डिफेंस कॉलोनी पेट्रोल पंप के पास हुआ।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 कार्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com

अचल संपत्ति की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां) **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की **कर्जदार/रों नामतः 1. मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार"/बंधकदाता") 2. श्री कुशल राज सिंह ("गारंटर"/बंधकदाता") और (2) श्री भजन सिंह ("गारंटर")** से मांग सूचना दिनांकित 03–06–2020 में वर्णितानुसार दिनांक 20–05–2020 तक बकाया राशि **रू. 12,44,64,678/– (रू. बारह करोड़ चौवालीस लाख चौंसठ हजार छह सौ अठहत्तर मात्र)** पूर्ण और अंतिम भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2023 को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जो है आधार"** और **"जो कुछ है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा और नीलामी कार्यक्रम नीचे वर्णित किया गया है :

बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर) धरोहर राशि जमा (एमडी)(आईएनआर)
मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड औद्योगिक सम्पत्ति सं. 647 प्लॉट परिमाप 450 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 4133.69 वर्ग फीट (384.03 वर्ग मीटर), जिसमें भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल शामिल हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर–37, पेस सिटी–II, गुरुग्राम, तहसील और जिला गुरुग्राम में स्थित है, जो सनातन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा स्वाधिकृत है, उस पर सभी विद्यमान और संबंधित बंधकों की संबंधित तिथि के बाद उत्थापित/निर्मित किए जाने वाले बिल्डिंग्स तथा स्ट्रक्चर्स और सभी संवृद्धियों तथा सभी फिक्सचर्स एवं फर्नीचर्स तथा भूमि के साथ संबद्ध या भूमि पर जड़ी किसी चीज के साथ संबद्ध प्लाण्ट एवं मशीनरी, वर्तमान और भावी दोनों सहित।	18 जुलाई, 2023 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक	19 जुलाई, 2023 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तारों के साथ	रु. 5,99,37,000/– (रूपए पांच करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार मात्र) रु. 59,93,700/– (रूपए उनसठ लाख तिरानवे हजार सात सौ मात्र)
श्री कुशल राज सिंह	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. 1267 प्लॉट परिमाप 250 वर्ग गज, कवर्ड एरिया 1450 वर्ग फीट, जो आवासीय कालोनी सेक्टर–4, अर्बन एस्टेट गुरुग्राम, तहसील और जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, जो कुशल राज सिंह द्वारा स्वाधिकृत है, उस पर सभी विद्यमान और संबंधित बंधकों की संबंधित तिथि के बाद उत्थापित/निर्मित किए जाने वाले बिल्डिंग्स तथा स्ट्रक्चर्स और सभी संवृद्धियों तथा सभी फिक्सचर्स एवं फर्नीचर्स और भूमि के साथ संबद्ध या भूमि पर जड़ी किसी चीज के साथ संबद्ध प्लाण्ट एवं मशीनरी, वर्तमान और भावी दोनों सहित।	18 जुलाई, 2023 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक	19 जुलाई, 2023 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तारों के साथ	रु. 3,36,41,000/– (रूपए तीन करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) रु. 33,64,100/– (रूपए तेंतीस लाख चौसठ हजार एक सौ मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 06 जुलाई, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक के बीच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से 19 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी।
2. ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं, **संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल : delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.**
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
6. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक सम्पत्ति के लिए बोली देने का इच्छुक है, तो बोलीदाता को ऊपर वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
7. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 18 जुलाई, 2023 तक या उससे पहले 4.00 अप. तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी दस्तावेज vikram.sharma@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में "लॉट 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी" अथवा **"मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में" लॉट 2 आवासीय संपत्ति"** के क्रय हेतु" लिखना चाहिए।
8. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते है।
9. **धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में 18 जुलाई, 2023 को या उससे पहले अप. 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
10. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी।
11. यदि कोई बोलीदाता बोली जमा करता है परंतु निर्धारित तिथि और समय के अनुसार ई–नीलामी में भाग नहीं लेता है, तो उस इच्छुक बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि एकमात्र प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसा जब्त कर ली जाएगी तथा ऐसे बोलीदाता को इस बाबत **दैवीय आपदा** के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
13. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
14. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
15. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
17. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. नीलामी के सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
19. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
20. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
21. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नहीं करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
22. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक के पास यहां ऊपर उल्लिखित पूरी संपत्ति का भौतिक कब्जा है। कर्जदार ने एक एसए सं. 61/2023 माननीय डीआरटी–II, चंडीगढ़ के समक्ष दायर किया है जिसमें बैंक द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत आरंभ की गई कार्यवाही को चुनौती दी गई है जो माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। तथापि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित वर्तमान नीलामी बिक्री पर कोई स्थगन/व्यादेश नहीं है। बैंक उक्त एसए सं. 61/2023 का माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उचित रूप से बचाव कर रहा है। इसके अलावा बोन्सडैग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा मैसर्स सनातन लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड के विरूद्ध एक सिविल वाद सं. सीएस–2862/2020 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गुरुग्राम के समक्ष दायर किया गया है जिसमें लॉट–1 में वर्णित औद्योगिक सम्पत्ति पर किराएदारी का दावा किया गया है। बैंक वाद कार्यवाही में शामिल हो चुका है तथा उसका बचाव कर रहा है। तथापि, उपरोक्त कार्यवाही में बैंक की सरफासी कार्यवाही के विरूद्ध कोई स्थगन नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार को उपरोक्त उल्लिखित विवाद को छोड़कर नीलामी के अधीन संपत्ति के संबंध में किसी अन्य मुकदमे/दावे/विवाद की जानकारी नहीं है।
23. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें।
24. इस क्रम में, यदि बोली लगाने वाले को आयोजित ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, लेकिन बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
25. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
26. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा।
27. अन्य सभी अनुषंगी शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा।
28. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से बंधक रखने वाले श्री अविनाश चावला के पैन नंबर– AACPC7230L के पक्ष में लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99: बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
29. ई–नीलामी "जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार" यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा (नो रिकोर्स) के आधार पर होगी।
30. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते है, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
31. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
32. प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पायी जाती हैं, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
33. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
34. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
35. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
36. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
37. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं।
38. अतिरिक्त विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नंबर +91–9654214923) या बैंक के अधिकारी श्री मनु श्रोत्रिय (मोबाइल नंबर +91–96672–20601 और श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नंबर +91–9953965199) से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत आस्ति" (उपरि वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 14 जून, 2023 **कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

दो आरोपियों की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब-तलब

- पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा धनशोधन का मामला
- आरोपी अंकुश जैन व वैभव जैन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में की है अपील

नई दिल्ली (एसएनबी)। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े धन शोधन के मामले के आरोपी अंकुश जैन व वैभव जैन ने निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उसको लेकर अपील दाखिल की है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है और सुनवाई 26 जून के लिए स्थगित कर दी है।

निचली अदालत ने 24 मई को दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों ने इस बार अदालत में निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने के आधार पर जमानत मांगी है। उससे पहले दोनों ने सामान्य तौर पर जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया था। उसने कहा था कि जांच अभी भी चल रही है। आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा था कि उनके मामले की अभी तक जांच चल रही है और पूरा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर उन्हें जमानत दे दी जाए क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस दशा में जमानत देने की बात कही है।

हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को सत्येंद्र जैन तथा अंकुश व वैभव को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसने कहा था कि निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है।

चरित्र पर शक में पत्नी को तवे से दागा, उपचार जारी

- सास ने चिमटे व ननदों ने लात-घूसों से पीटा
- देवर ने परिजनों से छुड़ाकर अस्पताल में कराया भर्ती
- पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, पुलिस परिजनों से कर रही पूछताछ

नई दिल्ली (एसएनबी)। हर्ष विहार इलाके में एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी को गर्म तवे से दाग दिया। बताया जाता है कि इस हमले के समय महिला परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसी समय आरोपी वहां पहुंचा और महिला से झगड़ा करने लगा। कहासुनी के दौरान आरोपी ने गर्म तवा उठाकर महिला पर हमला कर दिया। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी ने तवे से महिला के कूल्हे और कंधे को जला दिया। इसके बाद उसने लात-घूंसे बरसा दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास और दो ननद ने भी उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। सास उसे चिमटे से उस समय तक मारती रही, जब तक की वह अचेत नहीं हो गई।

बाद में महिला को उसके देवर ने बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अगले दिन उसका बयान लेकर पति, सास और ननद के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

फिलहाल अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़िता परिवार के साथ मंडोली में रहती है। उसके परिवार में पति, सास, ननद और देवर है। पीड़िता मंडोली की एक फैक्टरी में नौकरी करती है। बृहस्पतिवार शाम 7.30 बजे फैक्टरी से आने के बाद वह घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका पति वहां पहुंच गया। आते ही वह गाली-गलौज करने लगा। वह उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगा। आरोपी कहने लगा कि वह किसी और व्यक्ति से मिलती है। पीड़िता ने मना किया तो आरोपी भड़क गया और चूल्हे से हैंडल वाला तवा उठाकर महिला को दागना शुरू कर दिया। पीड़िता दर्द से छटपटाने लगी तो आरोपी की मां और बहनें भी वहां पहुंच गई। सास चिमटे और बहनें लात-घूंसों से उसे पीटने लगीं। हमले में समीना अचेत हो गई। इस बीच महिला का देवर वहां पहुंचा और परिजनों से उसे छुड़ाकर जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया।

ननद का रिश्ता तुड़वाने के आरोप में भाभी का ब्वायफ्रेंड गिरफ्तार

- युवती की भाभी के कहने पर भेज रहा था उसके मंगेतर को भद्दे भद्दे मैसेज वाली युवती की अश्लील तस्वीरें

नई दिल्ली (एसएनबी)। एक युवती का फोटो एडिट कर उस पर गंदे मेसेज लिखने के बाद उसके मंगेतर को भेजकर सगाई तोड़ने की कोशिश करने वाले एक साइबर अपराधी को द्वारका जिले की साइबर थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और उसके जरिए गंदे मैसेज लिखकर उस युवती की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उसके होने वाले पति को भेजा जा रहा था।

पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उससे अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम बरामद किया है। पकड़े गए फोन से आरोपी पीड़ित युवती को परेशान करने के लिए उसके फोटो एडिट कर उसके होने वाले पति को भेज रहा था। पुलिस के अनुसार 20 मार्च को इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई थी। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया गया था कि उसके होने वाले पति को भद्दे-भद्दे मैसेज और उसका एडिटेड फोटो भेजा जा रहा है। इस तरह की जानकारी के बाद साइबर थाना की पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की। एसीपी राम अवतार की देखरेख में एसएचओ जगदीश कुमार, हेड कांस्टेबल विकास और लेडी हेड कांस्टेबल चंदा की टीम ने छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि वह इंस्टाग्राम आईडी शुभम कुमार नाम के एक युवक ने बनाई है। पुलिस टीम उसकी लोकेशन पता कर उसे बिहार के मुजफ्फरपुर जाकर पकड़ा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पीड़ित युवती की भाभी का एक्स ब्वायफ्रैंड है। उसकी भाभी ने ही उससे कहा था कि उसकी ननद का रिश्ता वह तुड़वा दे। क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था। इसके लिए शुभम ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर गंदे गंदे मैसेज लिखे और उसके फोटो को एडिट कर पीड़ित युवती के होने वाले पति को भेजने लगा। पुलिस गिरफ्तार आरोपी शुभम के बयान के आधार पर आगे की छानबीन कर रही है।

U.P. State Bridge Corporation Ltd.
Zonal Machenical Workshop, Agra

NIT No. : 65/8-Dy PM(M)/ZMW/S-Agra/2023 Date: 17.06.2023

NOTICE INVITING E-TENDER

Online e-tenders are invited for "Electrification Work at R.O.B. at Level Xing No. 329 on Bina- Lalitpur Rail Section on Lalitpur-Devgarh Road in District Lalitpur" Tender start date 19.06.2023 and closing date is 27.06.2023. Complete NIT and tender doc. are available on **www.etender. up.nic.in**

Dy. Project Manager (M)

Letter No. 66/8 Dy PM(M)/ZMW/S-Agra/2023 Date: 17.06.2023

डोईवाला शुगर कम्पनी लि., डोईवाला (देहरादून)

क्रमांकः 362 दिनांक 17.06.2023

निविदा सूचना

1. डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला मिल में पेराई सत्र 2023-24 हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति/ठेकेदारी कार्य हेतु **ई-निविदा सूचना** संख्या 360 दिनांक 17.06.2023 के द्वारा मांगी गई है।
2. डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला मिल में पेराई सत्र 2023-24 हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति/ठेकेदारी कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या 361 दिनांक 17.06.2023 के द्वारा मांगी गई है।

विस्तृत विवरण हेतु निविदा सूचना हमारी बेबसाईट **www.doiwalasugars.com / www.uktenders.gov.in** पर देख सकते हैं।

अधिशासी निदेशक

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लेखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित है, भवन आवंटी/स्वामी की मृत्यु दिनांक 04.12.2020 को होने के कारण नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

क्र. सं.	मूल आवंटी/ पट्टाधारक/ स्वामी का नाम	भवन संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
01	श्री हरेन्द्र सिंह सिरोही पुत्र श्री विक्रम सिंह सिरोही	पी-46ए एच.आई.जी	संजय नगर	श्री दीपक सिरोही पुत्र स्व. श्री हरेन्द्र सिंह सिरोही	पता-पी-46ए, एच.आई.जी. संजयनगर, गाजियाबाद मो.-9871443232	मृत्यु उपरान्त नाम दर्ज	पट्टाधृत

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन के नामान्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्तियों सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रभारी सम्पत्ति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता/सकती है, अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चात्वर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

सहायक प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक/आवेदकों ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित है, भवन आवंटी/स्वामी की मृत्यु दिनांक 14.12.2020 को होने के कारण नामांतरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

क्र. सं.	मूल आवंटी/ पट्टाधारक/ स्वामी का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम पिता का नाम सहित	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री परमात्मा शरण स्व. श्री जनार्दन शर्मा एवं श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री परमात्मा शरण	एफ.बी.-213	लाजपत नगर गाजियाबाद	श्री अतुल ओझा पुत्र स्व. श्री परमात्मा शरण	नि.-एफ.बी.-213, लाजपत नगर, गाजियाबाद	मृत्यु उपरान्त नाम दर्ज हो	मूल आवंटी

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन के नामान्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रभारी सम्पत्ति, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

सहायक प्रभारी सम्पत्ति जोन-7
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

नुकसान से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने पार्क में फंदा लगाकर दी जान

नई दिल्ली (एसएनबी)। नॉर्थ दिल्ली जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमला नेहरू रिज पार्क में शनिवार सुबह कारोबार में नुकसान से परेशान एक 51 वर्षीय एक प्रॉपर्टी डीलर ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की शिनाख्त कपिल शर्मा के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पेंड़ से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि शनिवार सुबह कमला नेहरू रिज पार्क में तैनात सचिन नामक गार्ड से पीसीआर को सूचना मिली थी कि एक शख्स का शव पेंड़ से लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पेंड़ से नीचे उतारा। मृतक की शिनाख्त कपिल शर्मा के रूप में की गई ।

डीसीपी ने बताया कि कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ रैकेट कोर्ट रोड पर स्थित घर में रहते थे। उनके दो बच्चे हैं, प्राथमिक जांच में पता चला है कि कारोबार में हुए भारी नुकसान के चलते वह कई दिन से परेशान थे। तंग आकर उन्होने खुदकुशी की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है।

पश्चिम मध्य रेल

विद्युत विभाग (कर्षण-वितरण शाखा) जबलपुर
ई-निविदा सूचना

वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण - वितरण/पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते हैं। ठेकेदारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विद्युतीय लायसेन्स (फर्म के नाम से या फर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम में यदि सोल प्रोपराइटर हों) आई.ई.नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। **एन.आई.टी.नं.:** जबल-टीआरडी-निविदा-2023-02R दिनांक 15.06.2023, **कार्य का नामः** डीजल न्यू कटनी जंक्शन की अलग से फीडिंग व्यवस्था का प्रावधान, **कार्य स्थलः** जबलपुर मण्डल, **कार्य की अवधिः** 12 माह, **कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू):** ₹ 1,41,26,676.54, (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार छह सौ छिहत्तर और चौवन पैसे मात्र), **बयाना राशिः** ₹ 2,20,600/-, **निविदा जमा करने/खुलने की अंतिम तिथि एवं समयः** 07.07.2023, 15:00 बजे/07.07.2023, 15:30 बजे, **निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेब साईटः https://www.ireps.gov.in, नोटः** निविदाकर्ता अपनी निविदाऐं आई आर ई पी एस के माध्यम से https://www.ireps.gov.in, पर ऑन लाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु **IREPS** की वेबसाईट **https://www.ireps.gov.in** देखते रहें न्यूनतम पात्रता मान दण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वांइट वेन्चर व साझेदारी इस निविदा के लिए लागू होगा।

वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण-वितरण
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

कोरोना को भगाना है, मास्क एवं वैक्सीन लगाना है।